तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्ब… अहल… ताम…
	नूरी vs नापुरी वगैरह T-9	
16/4/19	वकील फरीकैन उप० बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 29/4/19 को पेश हो।	
29/4/19	वकील फरीकैन उप० प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति निस्तारित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल हुक्म नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर रहे।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
03 / 16	अस्थायी निषेधाज्ञा	07.01.16	29.04.19

नूरी बेवा सरफू आयु 40 साल जाति तेली निवासी गुलाबपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

–प्रार्थीया

बनाम

1. गफूरी देवी पत्नि अलादीन पुत्री अल्लाबक्स जाति तेली निवासी गुलाबपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
2. उप पंजीयक तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थितः– श्री कमरपाल मीना वकील प्रार्थीया।
श्री कुंजबिहारी शर्मा वकील अप्रार्थी सं0 1

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम ईनायती तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 51 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा प्रार्थीया की कब्जे काश्त की आराजी है। प्रार्थीया का पति सरफू अप्रार्थी सं0 1 गफूरी देवी का पुत्र है। प्रार्थीया का पति फोत हो चुका है। प्रार्थीया अपने परिवार व बच्चों का पालन पोषण उक्त आराजी से ही करती चली आ रही है। अप्रार्थी सं0 1 उक्त आराजी को बेचान करने पर आमादा है तथा बेचान करके खुर्द बुर्द पर तुली हुई है। प्रार्थीया के बच्चे नाबालिग छोटे छोटे है। दिनांक 02.01.2016 को अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थीया के कब्जे से अपने कब्जे मे लेने को कहा, प्रार्थीया ने कहा कि आप जमीन का क्या करोगी आपका हर्जा खर्चा मै चला रही हूँ तो अप्रार्थी सं0 1 ने कहा कि यह जमीन मेरे नाम है मै इसको बेचकर तेरे बच्चों को भूखा मारूगी और एलानिया कहा कि किसी लट्ठ व पैसे वाले को कब्जा करवाउंगी। इसलिए प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 2 तथा 3 का जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने जरिये वकील उपस्थित न्यायालय होकर जवाब पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं0 51 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि ग्राम ईनायती तहसील सपोटरा मे मुझ अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जो मुझ अप्रार्थी सं0 1 को अपने पीहर पक्ष से माता पिता अवनी अलाबक्स से प्राप्त हुई है जो मेरी खातेदारी कब्जे स्वामित्व की भूमि है। प्रार्थीया मेरे बुढापें मे मेरी खातेदारी की भूमि की घोषणा अपने नाम करवाकर भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। प्रार्थीया अपने पीहर पक्ष व ग्राम के कुछ असामाजिक तत्वों से साज किये हुए है जो मेरी खातेदारी की भूमि को स्वयं के नाम घोषणा करवाकर उसे रहन वय करने पर आमादा है। मुझ बुजुर्ग विधवा महिला को परेशान करती रहती है। उक्त भूमि मेरी वृद्वावस्था मे गुजर बसर का एकमात्र साधन है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारजि किया जावे।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम

Scanned by CamScanner

ईनायती तहसील सपोटरा सम्बत् 2068–71 के अनुसार अप्रार्थीया सं0 1 विवादित आराजी की रिकार्डेड खातेदार दर्ज है जिसमे प्रार्थीया का कही भी नाम दर्ज नही है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष मे साबित नही है। जमाबंदी फोटो प्रति मे अप्रार्थी सं0 1 का नाम गफूरी पुत्री अलाबक्स जाति मुसलमान दर्ज है इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी सं0 1 को उक्त भूमि अपने पिता पीहर पक्ष से प्राप्त हुई। इसलिए उक्त विवादित भूमि पैतृक भूमि भी नही है जिसमे से प्रार्थीया को अपनी पैतृक भूमि मे से नोशनल शेयर से कुछ भूमि प्राप्त हो सके। इसलिए प्रार्थीया को कोई असुविधा भी नही हुई है ना ही कोई अपूरणीय क्षति हुई है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष मे साबित नही है। प्रार्थीया के तथ्यों को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। प्रार्थीया अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.04.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner